न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2017 नामान्तरकरण अपील

1. प्रभूदयाल पुत्र हरजी
2. कस्तूरी बेवा नोरतन
3. दयाराम पुत्र बदरीलाल
   द0पु0 नोरतन नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कस्तूरी बेवा
4. बदरी लाल } पि0 चून्या उर्फ चूनीराम
5. रामेश्वर }

समस्त जाति बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामप्यारी बेवा महादेव जाति मीना निवासी जयसिंहपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा
2. तहसीलदार तहसील लालसोट

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 13.12.2002
ग्राम जयसिंहपुरा आदेश तहसीलदार लालसोट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :– 1. श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
2 रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 व 02 बावजूद तामील उपस्थित नही हुए।

–:निर्णय:– दिनांक: 09.05.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं. 36 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा वाकै ग्राम जयसिंहपुरा तहसील लालसोट में स्थित है। जो पूर्व मे सिवायचक भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। उक्त खसरा नं. 36 पर संवत 2003 से अपीलान्ट्स अपने बुजर्गान के जमाने से काबिज करते होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट ने अपने पुख्ता मकानात, पशुओ के बाडे, कुआॅ, बोरिंग, पाटोल, पोश व छप्पर पोश बना रखे है। उक्त आराजी खसरा नं. 36 को महादेव पुत्र भागीरथा मीना ने अवैध रूप से सरकारी ऐजेन्सी से राज कर गुपचुप में उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन संवत 2020–21 मे करा लिया बताया, परन्तु उसका वास्तविक कब्जा आज तक नही हुआ और न ही। रेस्पोडेन्ट सं. 01 का पति महादेव का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा तो ग्राम पंचायत दोलतपुरा ने दिनांक 26.05.1973 को नामान्तरकरण सं. 55 कब्जा के अभाव में खारिज कर दिया। इसके पश्चात भी दिनांक 13.12.2002 को तहसीलदार लालसोट ने रेस्पोडेन्ट सं. 01 रामप्यारी का नाम नामान्तरकरण सं. 161 में अवैध रूप से भरकर खातेदार घोषित कर दिया। जो विधि विरूद्ध है। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट्स बावजूद तामील उपस्थित नही हुए। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया एवं अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 36 ग्राम जयसिहपुरा तहसील लालसोट पर आवंटी महादेव पुत्र भागीरथा मीना का कब्जा नही होने पर ग्राम पंचायत दोलतपुरा ने दिनांक 26.05.1973 को नामान्तरकरण सं. 55 कब्जा के अभाव में खारिज कर दिया गया था। जिसकी कोई अपील नही की गई। किन्तु तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 13.12.2002 को रेस्पोडेन्ट सं. 01 रामप्यारी का नाम नामान्तरकरण सं. 161 में अवैध रूप से भरकर खातेदार घोषित कर दिया। जबकी अपीलान्ट्स के कब्जे का इन्द्राज खसरा गिरदावरी संवत 2031 से 2034 में अंकित है। इस प्रकार तहसीलदार लालसोट ने आराजी खसरा नं. 36 पर अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त निवास होने के बावजूद कानूनी प्रावधानो की अवहेलना कर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 161 तस्दीक किया गया है। जो निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण सं. 55 दिनांक 26.05.1973 वाके ग्राम जयसिंहपुरा तहसील लालसोट को ग्राम पंचायत दोलतपुरा द्वारा निरस्त किये जाने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि खसरा न. 36 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा का नामान्तरकरण सं. 161 दिनांक 13.12.2002 को तहसीलदार लालसोट द्वारा अप्रार्थी सं. 01 रामप्यारी बेवा महादेव कौम मीना के नाम तस्दीक किया गया है। किन्तु उक्त नामान्तरकरण किस आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है, इसका उल्लेख नही किया गया है। अतः प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 161 दिनांक 13.12.2002 ग्राम जयसिंहपुरा तहसील लालसोट को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 36 के आवंटन एवं नामान्तरकरण सं. 55 दिनांक 26.05.1973 को निरस्त किये जाने तथा पुनः अप्रार्थी सं. 01 रामप्यारी के नाम नामान्तरकरण सं. 161 दिनांक 13.12.2002 खोले जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित जांच कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official